129/06 सुभाषचन्द्र - सुन्दरी

दिनांक	आज्ञा पत्र
15-2-16	वकुलाये फरीकैन उप० वकील अपीलांट ने जाहिर किया अदालत मातहत में दावे का निस्तारण हो चुका अब अपील का कोई औचित्य नहीं रहता है। अपील में दावा का निर्णय हो जाने पर अस्थाई निषेधाज्ञा की अपील का अब कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय भू-प्रबन्ध ... सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official